न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 29/2022

GCMS NO. : 2022/107

–:: प्रार्थीया ::– बनाम –:: अप्रार्थीगण ::–

1. शोकत अली पुत्र महमद खां
   जाति मोयला मुसलमान
   निवासी ग्राम मुण्डावा तहसील
   जैतारण जिला

1. हाजी उर्फ मांगूखां पुत्र महमदखां
2. रेमती बेवा महमदखां
3. जरीना बेवा भीकाखां
4. रफीक पुत्र भीकाखां
5. सारूक पुत्र भीकाखां
6. शेरू पुत्र भीकाखां
7. पिन्टू पुत्री भीकाखां
8. रुकसाना पुत्री भीकाखां
9. मुमताज पुत्री भीकाखां
   गैरसायलान संख्या 9, नाबालिग
   कुदरती वलिया माता गैरसायलान
   संख्या 3 जैना बेवा भीकाखां
10. हाजी पुत्र मिसरूखां
11. रोशन पुत्री सुबान अली
    सभी जाति मोयला मुसलमान सभी
    निवासीगण ग्राम मुण्डावा तहसील
    जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान
12. मुन्नी उर्फ समीम पत्नी इसाकखां
    जाति लौहार मुसलमान निवासी
    मुण्डवा तहसील जैतारण जिला
    ब्यावर राजस्थान
13. तहसीलदार एवं उपपजीयन
    अधिकारी महोदय जैतारण जिला
    ब्यावर राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख रजू: 08/10/2020

उपस्थितः–

1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनाँकः 16.05.2024

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत् इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा मुण्डावा पटवार हल्का घोडावड, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में सायल के पिता दादा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की निम्नलिखित खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि वाके है। वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 190 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा किस्म सेवज दोयम खसरा संया 215 रकबा 13 बीघा किस्म सेवज दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 23 बीधा 8 बिस्वा की कृषि भूमि को इस प्रार्थनापत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 स्वर्गीय मिसरूखां के वंशज उतराधिकारी वारिसान है जिनकी वंश वंशावली प्रार्थना पत्र में दर्शायी गयी है। वर्णित वंश वंशावली अनुसार प्रार्थी शोकतअली महमदखां जायन्दा पुत्र होकर मिसरूखां का पौत्र है तथा वादग्रस्त कृषिभूमि मे प्रार्थी के पिता महमदखां का 1/3 हक हिस्सा व अधिकार, खातेदारी व कब्जा काश्त था जिसके सम्बन्ध मे ही सायल का यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजी के 1/3 हक हिस्से के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार प्रार्थी के पिता महमदखां पुत्र मिसरूखां थे जिनका देहान्त होने के पश्चात प्रार्थी महमदखां का जायन्दा पुत्र होने के कारण तथा मुस्लिम विधि से गवर्न होने के कारण प्रार्थी अपने पिता महमदखां की हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर मौके पर काबिज होकर अपने सगे भाई भीकाखां, मांगूखां उर्फ हाजी तथा माता रेमी के साथ संयुक्त रूप से बतौर खातेदार काश्तकार के और महमदखां का जायन्दा पुत्र होने के आधार पर वह मुस्लिम विधि अनुसार प्रार्थी का भी अपने पिता की वादग्रस्त आराजी पर अपने हक हस्से व अधिकार की भूमि पर काबिज होकर आज तक काश्त करता चला आ रहा है। नकल राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीयां इस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। वाग्रस्त आराजी के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार महमदखां का देहान्त होने के पश्चात तत्कालीन राजस्व एजेन्सी द्वारा बिना कोई मौके एवं महमदखां के वारिसान की जांच किये बगैर प्रार्थी का नाम छोडकर महमदखां के अन्य पुत्र भीकाखां व मांगूखां उर्फ हाजी व महमदखां की पत्नी रेमतीबानो के नाम ही वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड के सम्बन्ध मे म्युटेशन संख्या 195 पारित किया गया जो म्युटेशन संख्या विधिविरूद्ध नल एण्ड वोईड होकर प्रार्थी के हक अधिकारो के विरूद्ध निष्प्रभावी है क्योकि प्रार्थी भी महमदखां का जायन्दा पुत्र है और उनकी खातेदारी हक अधिकार की वादग्रस्त भूमि मे मुस्लिम विधि अनुसार प्रार्थी का भी भीकाखां, मांगूखां उर्फ हाजी व रेमतीबानो के साथ साथ बराबर बराबर हक हिस्सा व अधिकार है और उसी अनुरूप प्रार्थी आज भी मौके पर काबिज़ होकर अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे म्युटेशन संख्या 195 पारित करते समय प्रार्थी नाबालिग था जबकि मुस्लिम विधि अनुसार प्रार्थी का भी अपने पिता की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की वादग्रस्त आराजी मे उनके देहान्त के पश्चात हक हिस्सा व अधिकार निहित है इसके बावजुद भी म्युटेशन संख्या 195 विधिविरूद्ध तरीके से बिना कोई महमदखां के बिना सभी वारिसान की जांच किये पारित किया गया है जो म्युटेशन संख्या 195 नल एण्ड वोईड होकर प्रार्थी के हक अधिकारो के विरूद्ध निष्प्रभावी होने से प्रार्थी की और से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद निरस्त घोषित करने म्युटेशन संख्या 195 की दादरसी हेतू श्रीमान् के समक्ष खिलाफ अप्रार्थीगण के सादर प्रस्तुत है। नकल म्युटेशन संख्या 195 इस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पिता महमदखां की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की 1/3 हक हिस्से की भूमि थी तथा उनके देहान्त के पश्चात प्रार्थी का उनकी खातेदारी हक अधिकार की भूमि मे 1/4 हक हिस्सा व अधिकार माफिक मुस्लिम विधि अनुसार है तथा उसी अनुसार ही प्रार्थी मौके पर काबिज होकर आज दिन तक काश्त कर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (प्रशिक्षु)
जैतारण

है। परन्तु राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम इन्द्राज नही है जबकि प्रार्थी अपने पिता की 1/3 हक हिस्से की वादग्रस्त आराजी में 1/4 हक हिस्सा व अधिकार निहित होने से प्रार्थी अपने हक हिस्से व अधिकार भूमि के राजस्व रेकर्ड मे बतौर खातेदार काश्तकार के अपना नाम इन्द्राज करवाने का कानूनन अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र व वाद घोषणा का श्रीमान् के समक्ष खिलाफ अप्रार्थीगण के सादर प्रस्तुत है। वादग्रस्त आराजी मे सायल का मुस्लिम विधि अनुसार अपने पिता की खातेदारी हक अधिकार की भूमि मे उनके देहान्त के पश्चात 1/4 हक हिस्सा व अधिकार निहित है और उसी अनुसार अप्रार्थीगण् संख्या 1 का भी 1/4 हिस्सा व अप्रार्थीगण संख्या 2 का भी 1/4 हिस्सा व अप्रार्थीगण् संख्या 3 से 9 का भी वादग्रस्त आराजी मे 1/4 हक हिस्सा व अधिकार निहित है तथा उसी अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 9 मौके पर काबिज होकर काश्त कर अपने अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है परन्तु प्रार्थी का नाम अपने हक हिस्से की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 9 ने स्वयं का वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे विधिविरूद्ध नल एण्ड वोईड इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाते हुए एवं प्रार्थी के हक हिस्से व अधिकार की भूमि को सम्मलित करते हुए वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 215 की भूमि का अप्रार्थी संख्या 12 मुन्नी उर्फ समीम पत्नी इसाकखां के पक्ष में दिनांक 18/05/2011 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर दिया जो रजिस्टर्ड बेचान नल एण्ड वोईड एवं विधिविरूद्ध होकर प्रार्थी के हक अधिकार के विरूद्ध निष्प्रभावी है क्योकि बेचानकर्ता अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 9 को बेचानसुदा कृषि भूमि को सम्पूर्ण रूप से बेचान हस्तान्तरण करने का कोई कानूनी अधिकार नही था क्योकि बेचान सुदा कृषि भूमि मे प्रार्थी के मुस्लिम विधि अनुसार एवं महमदखां का प्रार्थी जायन्दा पुत्र होने के कारण हक अधिकार व हिस्सा निहित होने से एवं मौके पर प्रार्थी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करने से किया गया रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 18/05/2011 शुरू से ही वोइड एबीनिसियो है तथा ऐसे नल एण्ड वोईड निष्प्रभावी बेचान दस्तावेज दिनांक 18/05/2011 के आधार पर खरीददार अप्रार्थी संख्या 12 को भी प्रार्थी के हक अधिकार एवं हिस्से की भूमि में कोई हक अधिकार सर्जित नही होते है तथा न ही ऐसे वोईड एबीनिसियो निष्प्रभावी बेचान दस्तावेज दिनांक 18/05/2011 के आधार पर वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के कोई हक अधिकार कानूनन समाप्त नहीं होते है। प्रार्थी अपने पिता महमदखां के 1/3 हक अधिकार एवं हिस्से की भूमि मे स्वयं की 1/4 हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है और प्रार्थी का मुस्लिम विधि अनुसार एवं कानून अनुसार महमदखां की खातेदारी एवं हक अधिकार की भूमि में 1/4 हक हिस्सा व अधिकार निहित है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नहीं होने के कारण प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार के इन्द्राजं करवाने का कानूनन अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतू श्रीमान् के समक्ष पेश है। नकल रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 18/05/2011 इस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पिता स्वर्गीय महमदखां की खातेदारी एवं कब्जा काश्त एवं हक अधिका कृषि भूमि थी जिनके देहान्त के पश्चात प्रार्थी भी मुस्लिम विधि अनुसार एवं महमदखां का जायन्दा पुत्र होने के कारण उनके हक हिस्से की भूमि में प्रार्थी अपने 1/4 हक हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी का भी महमदखां की 1/3 हक हिस्से की भूमि मे प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सा माफिक मुस्लिम विधि अनुसार एवं कानून अनुसार बनता है इसलिए घोषणा की डिकी के परिणाम स्वरूप तथा वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान् के मध्य बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कोई बंटवाडा

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
बैराठ

नहीं हो रखा है इसलिए प्रार्थी अपने हक हिस्से व खातेदारी की भूमि का कानूनन बंट्वाडा करवाने का अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बंटवाडा की दादरसी हेतू भी प्रार्थी की और से खिलाफ अप्रार्थीगण के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। दिनांक 25/08/2022 को अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के मौके पर आकर प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने की ऐलानिया धमकीया दी और अप्रार्थीगण संख्या 12 ने सायल को ऐलानिया कथन किया कि मैने तुम्हारे हक हिस्से की भूमि को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 से जरिये रजिस्टर्ड शैलडीड के खरीद कर ली है तथा सभी अप्रार्थीगण ने कहा कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे तुम्हारा नाम नही है इसलिए तुम्हारे हक हिस्से की भूमि से तुम्हे बेदखल कर जबरन अतिक्रमण कर लेगे व काश्त से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं करने देगे तथा मौके पर कच्चा पक्का निर्माण कर वादग्रस्त भूमि को खुर्दबुर्द कर देगे एवं वादग्रस्त भूमि को रहन बेचान हस्तान्तरण कर देगे, तब प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड की सम्पूर्ण नकले प्राप्त की तब प्रार्थी को सर्व प्रथम राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम इन्द्राज नही होने एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि को सम्मलित करते हुए अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष मे विधिविरुद्ध तरीके से रजिस्टर्ड बेचान करने की जानकारी प्राप्त हुई तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण इन्कार हो गये एवं प्रार्थी को ऐलानिया धमकीया दी कि वादग्रस्त आराजी से तुम्हे जबरन बेदखल कर अतिक्रमण कर कच्चा पक्का निर्माण कर देगे एवं वादग्रस्त आराजी को आगे से आगे रहन बेचान हस्तान्तरण कर देगे। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त अवैध कृत्यो मे सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं प्रार्थी के हक अधिकार प्रभावित होगे एवं प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा। प्रार्थी अप्रार्थीगण के उक्त अवैध कृत्यो का मौके पर विरोध करेगा तो मौके पर वाद विवाद होगा एवं मल्टी प्लीसिटी अoफ प्रोसिडिंग्स् बढेगी तथा पेचीदगिया पैदा होगी। इसलिए अप्रार्थीगण के उक्त अवैध कृत्यो को रोकने हेतू यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का सायल की और से खिलाफ अप्रार्थीगण के सादर पेश है। प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के पक्ष में है क्योकि वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी के पिता महमदखां का 1/3 हक हिस्सा व अधिकार निहित था और उनके देहान्त के पश्चात मुस्लिम विधि एवं कानून अनुसार प्रार्थी का भी अपने पिता की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि मे 1/4 हक हिस्सा व अधिकार निहित है और उसी अनुरूप प्रार्थी मौके पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। क्योकि अप्रार्थी संख्या 1 से 9 प्रार्थी के हक हिस्से व अधिकार व कब्जा काश्त की भूमि को सम्मलित करते हुए विधिविरुद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 12 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के दिनांक 18/05/2011 को हस्तान्तरित कर दी जो रजिस्टर्ड बेचान शुरू से ही वोइड एबीनिसियो है एवं प्रार्थी के हक अधिकारो के विरूद्ध निष्प्रभावी है इसके बावजुद भी अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक अधिकार एवं कब्जा काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार से दखलन्दाजी बाधा अडचन पैदा करते है या जबरन अतिक्रमण कर कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण कर भूमि को खूर्द बुर्द कर देते है एवं रहन बेचान हस्तान्तरण कर देते है तो अपूर्णिय क्षति निश्चित रूप से प्रार्थी को होना सुनिश्चित है तथा मौके पर वाद विवाद बढेगा जिससे विविध मुकदमेबाजी होगी एवं पेचीदगिया पैदा होगी इसलिए इन तमाम परिस्थितियो मे अप्रार्थीगण के उक्त अवैध कृत्यो को रोकने हेतू प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित खसरा नम्बर 190 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 215 रकबा 13 बीघा कुल रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा की कृषि भूमि मे से प्रार्थी अपने

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
बैसरण

हक हिस्से की भूमि में काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावे तो उसमे अप्रार्थीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार की दखल व दस्तन्दाजी नही करे एवं प्रार्थी के हक हिस्से व अधिकार की भूमि मे अतिक्रमण कर कब्जा कर प्रार्थी को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल नही करे व न ही कृषि भूमि मे किसी प्रकार का कोई अकृषि कार्य करे, न ही कच्चा पक्का निर्माण करे तथा न ही संयुक्त सामलाती कब्जे काश्त की पैतृक पुश्तैनी भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के अप्रार्थीगण को रोका जावे तथा वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को भी मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक यथावत् रखी जाने की इस्तदुआं की है।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के विरूद्ध बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से वकील श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा ने वकालतनामा पेश किया गया, जो मूलवाद में शा.मि. है। अप्रार्थी संख्या 12 ने जवाब प्रा. पत्र प्रस्तुत किया जो शा.मि. है।

अप्रार्थी संख्या 12 ने जवाब प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 का जबाब है कि मौजा मुण्डावा मे खसरा नम्बर 190 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 215 रकबा 13 बीघा किस्म सेवज दोयम की आई हुई है। जिसके वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 215 मे अप्रार्थी संख्या 12 का 1/3 हिस्से की रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है अन्य तथ्य जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 का जबाब है कि इस पद मे सायल ने अपनी वंशावली का वर्णन किया है जो जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं अपनी साक्ष्य से साबित करे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 का जबाब है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य कथन मिथ्या, बेबुनियाद एवं झुठे होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी के पुराने राजस्व रेकर्ड जमाबन्दीयां देखने से स्पष्ट साबित है कि मेहमद खां पुत्र मिसरूखां के फौत होने पर उसके विधिक वारिसान भीका, हाजी उर्फ मांगूखां पिसरान् मेहमद रेमती बेवा मेहमदखां के नाम से म्युटेशन स्वीकृत हुआ था जो लगातार जमाबन्दीयो मे इन्द्राज चला आ रहा था जमाबन्दीयो की प्रमाणित प्रतिया जबाब के साथ पेश है जिन्हे जबाब का एक आवश्यक भाग माना जावे तथा मेहमदखां के जायन्दा संतान अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगायत 9 ने मिलकर खसरा नम्बर 215 में अपना 1/3 हिस्से का विधिवत् पंजीबद्ध बेचाननामा अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष मे निष्पादित करके अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान कर दिया। अब केवल खसरा नम्बर 190 मे ही अप्रार्थी संख्या 1 से 9 का हक हिस्सा निहित है तथा प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे कभी भी नाम इन्द्राज नही रहा है तथा प्रार्थी के भाई व माता ने खसरा नम्बर 215 मे मेहमद खां के हिस्से पर कायम होकर के जमीन का बेचान अप्रार्थी संख्या 12 को विधिवत् रूप से कर दिया ऐसी स्थिति में प्रार्थी खसरा नम्बर 215 की आराजी में कोई हक हिस्सा मुस्लिम विधि अनुसार नही ले सकता है। मुस्लिम विधि के तहत प्रार्थी की माता ने व भाईयो ने मिलकर उक्त जमीन का बेचान अप्रार्थी संख्या 12 को कर दिया है तथा सम्पूर्ण हक हिस्से का कब्जा भी अप्रार्थी संख्या 12 को सुपुर्द कर दिया तब से अप्रार्थी संख्या 12 खसरा नम्बर 215 की आराजी के 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा प्रार्थी का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है इसलिए अब उक्त आराजी मे प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नही रहा है तथा प्रार्थी किसी प्रकार के हक हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
केकड़ी

नही है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमावे । प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 का जबाब है कि मेहमदखां का देहान्त के बाद म्युटेशन संख्या 195 पारित किया गया जो विधिवत् तत्कालीन राजस्व एजेन्सी ने मेहमदखां के जायन्दा पुत्र भीकाखां व हाजी उर्फ मांगूखां व पत्नी रेमतीबानो की जांच करके पारित किया था तत्कालीन समय मे सायल की उत्पति नही थी लेकिन प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र मे नाबालिग होने के तथ्य अंकित किये है जो गलत है अगर म्युटेशन संख्या 195 गलत स्वीकृत हुआ है तो प्रार्थी द्वारा बालिग होने पर उक्त म्युटेशन की अपील जरूर की जाती है प्रार्थी ने आज तक उक्त म्युटेशन संख्या 195 की अपील नही की है म्युटेशन संख्या 195 सही एवं विधिक प्रक्रिया अपनाकर भरा गया तथा प्रार्थी की उत्पति उस समय नही हुई इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही हो सका तथा उसके बाद लगातार जमाबन्दीयो मे प्रार्थी का नाम कभी भी इन्द्राज नही रहा है क्योकि प्रार्थी की माता रेमतीबानो व उसके भाई भीकाखां के विधिक वारिसान व हाजी उर्फ मांगूखां अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 से 9 ने मिलकर अपने 1/3 हिस्से का खसरा नम्बर 215 की आराजी का विधिवत् बेचान रजिस्ट्री दिनांक 18/05/2011 को अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष में करके मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था तब से मौके पर अप्रार्थी संख्या 12 का ही कब्जा काश्त व राजस्व रेकर्ड मे नाम चलता आ रहा है उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मिलकर नाजायज रूप से ऋण लेकर खसरा नम्बर 190 के साथ खसरा नम्बर 215 को भी अपनी कृषि भूमि बताकर खाता जोईन्ट मे होने से दोनो खसरो पर ऋण स्वीकृत करवा दिया जिससे रहननामा का म्युटेशन संख्या 507 दिनांक 15/11/2013 को राजस्व रेकर्ड में भरा गया जिसमे हाजी उर्फ मांगूखां पुत्र मेहमदखां व रेमती बेवा मेहमद खां का हिस्सा पी एन बी बैंक के नाम दर्ज हो गया तथा उक्त म्युटेशन पारित होने से अप्रार्थी सख्या 12 का खसरा नम्बर 215 में 1/3 वां हिस्सा इन्द्राज था उसके स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे रहन का म्युटेशन होने के कारण 1/9 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हो गया तथा 1/9, 1/9 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 का अप्रार्थी सख्या 12 के साथ जुड गया जो गलत जुड गया है क्योकि अप्रार्थी संख्या 1 से 9 ने खसरा नम्बर 215 में अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान अप्रार्थी संख्या 12 को कर दिया जिससे अप्रार्थी संख्या 12 का 1/3 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ था जो सही हिस्सा दर्ज हुआ। अप्रार्थी संख्या 12 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा खसरा नम्बर 215 पर गलत ऋण लेने की जानकारी होने पर पुलिस थाना जैतारण में इनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया जो मुकदमा संख्या 575/2022 है तथा बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध ए सी जे एम कोर्ट जैतारण मे चालान पेश हुआ जो चालान संख्या 185/2022 बअनवान सरकार बनाम हाजी उर्फ मांगूखां वगैरा का विचाराधीन है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 9 व प्रार्थी मिलकर आपसी सलाह मश्विरा करके अप्रार्थी संख्या 12 को तंग व परेशान करने की नियति से यह गलत तथ्यों पर आधारित प्रार्थनापत्र पेश किया है जबकि मुस्लिम विधि के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा अपने हक हिस्से का बेचान करने के बाद उसके जायन्दा संतान किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं कर सकते है। हस्तगत प्रकरण मे भी प्रार्थी की माता रेमती व उसके भाई भीकाखां के वारिसान व हाजी उर्फ मांगूखां तीनो ने मिलकर अपने हक हिस्से का बेचान खसरा नम्बर 215 की मे से कर दिया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी खसरा नम्बर 215 की आराजी बाबत् किसी प्रकार का कोई क्लेम नही कर सकता है। अन्य तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 का

(श्याम सुन्दर [illegible])
[illegible] कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
[illegible]

जबाब है कि मेहमदखां की 1/3 हक हिस्से की आराजी का बेचाननामा तत्कालीन उनके विधिक वारिसानो ने फौतेदगी म्युटेशन संख्या 195 के आधार पर अपना नाम इन्द्राज करवाकर कर दिया था उस समय तक प्रार्थी का जन्म भी नही हुआ था अगर प्रार्थी का जन्म होता तो म्युटेशन संख्या 195 में प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे अवश्य ही इन्द्राज होता मेहमदखां के फौत होने पर उसके तत्कालीन विधिक वारिसान भीकाखां, हाजी उर्फ मांगूखां, रेमती बेवा मेहमदखां के नाम 1/3 हक हिस्से की खातेदारी राजस्व जमाबन्दी मे इन्द्राज हो गई थी उसके बाद मेहमदखां के उक्त विधिक वारिसान ने मिलकर अपने 1/3 हक हिस्से के खातेदारी अधिकारो का विधिवत् पंजीबद्ध बेचान दिनांक 18/05/2011 को अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष मे कर दिया तब से अप्रार्थी संख्या 12 उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है। इस प्रकार मुस्लिम विधि के अनुसार प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र मे घोषणा की रिलीफ चाही है जबकि मुस्लिम विधि मे स्पष्ट प्रावधान है कि एक वयस्क मुस्लिम व्यक्ति अपने जीवनकाल मे अपनी निजी जायज जरूरत हेतू अपनी पैतृक व स्वअर्जित तमाम सम्पति का बेचान कर सकता है तथा उसके द्वारा बेचान की गई सम्पति को उसके विधिक वारिसान उतराधिकारी द्वारा चौलेंज नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण मे यही स्थिति हुई है इसलिए प्रार्थी अपने 1/4 वां हक हिस्से की घोषणा खसरा नम्बर 215 मे करवाने का कतई कानूनन हक व अधिकारी नही है। इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमावे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 का जबाब है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 215 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 9 ने मिलकर अपने 1/3 हिस्से को विधिवत् बेचान अप्रार्थी संख्या 12 को दिनांक 18/05/2011 को जरिये बेचान रजिस्ट्री के कर दिया है तथा वक्त बेचान से लगाकर आज तक उक्त खसरे की आराजी पर अप्रार्थी संख्या 12 काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बेचान रजिस्ट्री रद्ध घोषित करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् सिविल न्यायालय मे वाद संख्या 86/2022 मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र संख्या 73/2022 बअनवान रफीक बनाम जरीना वगैरा पेश किया है जिसमे सिविल न्यायालय द्वारा टी आई प्रार्थनापत्र की मैरिट पर सुनवाई कर टी आई दिनांक 23/01/2023 को खारिज कर दी है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा मुस्लिम विधि के आधार पर इस न्यायालय मे उक्त खसरे पर अपने हक हिस्से की घोषणा करवाने का प्रार्थनापत्र पेश किया है जो कतइ चलने योग्य नही है क्योकि प्रार्थी की माता रेमती ने व भाई भीकाखां के वारिसान व हाजी उर्फ मांगूखां अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 से 9 ने मिलकर विधिवत् बेचान अप्रार्थी संख्या 12 को उक्त आराजी बाबत् किया है इसलिए अब प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 215 बाबत् अपने 1/4 हिस्से की घोषणा चाही है जो घोषणा कतई पाने का अधिकारी नही है। क्योकि उक्त आराजी का बेचान अप्रार्थी सख्या 1 से 9 द्वारा प्रार्थी का जन्म होने से पहले ही कर दिया है तथा प्रार्थी का नाम भी आज दिन तक राजस्व रेकर्ड मे नही आया है इसलिए प्रार्थी उक्त खसरे मे अपने हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है। नकल सिविल न्यायालय के टी आई आदेश की जबाब के साथ पेश है। सायल ने अप्रार्थी संख्या 12 को तंग व परेशान करने की नियत से यह झुठा व गलत प्रार्थनापत्र पेश किया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 का जबाब है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार मेहमदखां के फौत होने पर तत्कालीन उसके जायन्दा वारिसान भीकाखां, हाजी उर्फ मांगूखां व उसकी पत्नी रेमती का नाम जरिये म्युटेशन संख्या 195 के इन्द्राज हो गया था तथा उस समय प्रार्थी का कोई जन्म नही हुआ था इसलिए प्रार्थी

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

का नाम उक्त म्युटेशन इन्द्राज नही हो सका। बाद में हाजी उर्फ मांगूखां, भीकाखां फौत होने पर उसके विधिक वारिसान अप्रार्थी संख्या 3 से 9 ने मिलकर अपने 1/3 हिस्से का बेचान अप्रार्थी संख्या 12 को जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 18/05/2011 के जरिये विधिवत् कर दिया है तथा वक्त बेचान से लगाकर आजदिन तक खसरा नम्बर 215 के 1/3 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 12 काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा सायल आउट ऑफ पजेशन है तथा प्रार्थी का उक्त खसरे की आराजी पर कभी भी राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज नही रहा है। इसलिए अब प्रार्थी उक्त खसरे में किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का व घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है तथा न ही प्रार्थी उक्त खसरे का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने का अधिकारी रहा है। इसलिए सायल का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 7 का जबाब है कि दिनांक 25/08/2022 को अप्रार्थी संख्या 12 ने सायल को कोई ऐलानिया कथन नही किया है तथा अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष में पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 18/05/2011 को निष्पादित होने के बाद विधिवत् खसरा नम्बर 215 मे मेहमदखां के 1/3 वे हक हिस्से पर उसके विधिक वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 9 द्वारा बेचान करने के बाद से काबिज होकर काश्त करती आ रही है तो अब प्रार्थी को कृषि भूमि के सम्बन्ध मे बेचान की धमकी देने का प्रशन ही पैदा नही होता है मात्र प्रार्थनापत्र पेश करने की गरज से प्रार्थी ने गलत व मनगढन्त तथ्य प्रार्थनापत्र में अंकित किये है। जब प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त कभी नही रहा है तथा न ही प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज रहा है तो प्रार्थी द्वारा मौके पर काबिज होकर काश्त करने का प्रशन ही पैदा नही होता है प्रार्थी शुरू से आउट ऑफ पजेशन है प्रार्थी की माता व भाईयो ने मिलकर मेहमदखां के फौत होने के बाद अपने नाम फौतेदगी म्युटेशन स्वीकृत करवाकर अपने हक हिस्से का विधिवत् बेचान अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष में कर दिया है तब से अप्रार्थी संख्या 12 ही मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है इसलिए प्रार्थी को उक्त खसरे की भूमि मे कोई हक अधिकार पैदा नही होते है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 12 के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष इस प्रार्थनापत्र के जरिये प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 9 ने मिलकर आपसी मिलीभगती से केवल अप्रार्थी संख्या 12 को तंग व परेशान करने की नियत से तथा और रूपये ऐंठने की नियत से यह गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थनापत्र पेश किया है जबकि अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष में दिनांक 18/05/2011 को उक्त खसरे की जमीन बाबत् बेचान रजिस्ट्री के जरिये खातेदारी हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है। इस प्रकार 12 वर्षो से अधिक समय से अप्रार्थी संख्या 12 उक्त कृषि भूमि पर बतौर खातेदार के काबिज होकर काश्त करती आ रही है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 12 के विरूद्ध उक्त खसरे बाबत् कोई क्लेम करने का अधिकारी नही है तथा न ही कोई अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमावे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 8 का जबाब है कि उपरोक्त जबाब के आधार पर एवं अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 1 से 9 द्वारा किये गये विधिवत् बेचान रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 18/05/2011 के आधार पर खसरा नम्बर 215 के 1/3 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 12 का कब्जा काश्त व रेकर्डेड काबिज खातेदार होने से प्रार्थी किसी प्रकार का कोई अनुतोष उसके विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इस प्रकार प्रार्थी का खसरा नम्बर 215 की आराजी पर कभी भी मौके पर कब्जा काश्त नही रहा है सायल आउट ऑफ पजेशन है तथा राजस्व रेकर्ड

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
बैयाना

मे भी प्रार्थी का कभी नाम इन्द्राज नही रहा है इसलिए प्रार्थी की बजाय अप्रार्थी संख्या 12 का मामला प्रथम दृष्टिया मजबूत है तथा हर दृष्टिकोण से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी की बजाय अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है। अगर अप्रार्थी को गलत तथ्यो के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 12 को अपूर्णिय क्षति होगी ऐसी स्थिति मे प्रार्थी की बजाय अप्रार्थी संख्या 12 के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र के तीनो घटक साबित है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र व दस्तोवजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र किसी दृष्टिकोण से पोषणीय नही होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमाने की इस्तदुआं की है।

बहस वकील वादी/प्रार्थी व वकील अप्रार्थीगण राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** वाद-पत्र मय दस्तावेजात, हस्तगत प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा सरहद मौजा मुण्डावा पटवार हल्का घोडावड, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में खसरा नम्बर 190 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा किस्म सेवज दोयम खसरा संया 215 रकबा 13 बीघा किस्म सेवज दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 23 बीघा 8 बिस्वा की कृषि भूमि स्थित कृषि भूमि को पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की भूमि बताते हुए वाद बाबत् घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। वादपत्र में उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2034-2037 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 190 व 215 के तत्कालीन खातेदार लाबुराम पुत्र मुगनाराम कौम भांबी ने माफिक एग्रीमेंट हो जाने से महमूद हाजी वजीर पि. मिश्रु को नाम जरिये नामान्तरण संख्या 110 द्वारा दर्ज किया गया। जमाबन्दी संवत् 2038-2041 से 2043-46 तक नाम यथावत रहा। जमाबन्दी संवत् 2047-2050 में जरिये पास शुदा ना.क.स. 161 के अनुसार वजीर का नाम खारिज कर रोशन पुत्री सुबान अली मोयला निवासी देवरिया के नाम अमल दरामद किया गया। शेष प्रविष्टिया यथावत रही। जमाबन्दी संवत् 2051-2054 में जरिए पास शुदा ना.मा.क. 195 के अनुसार महमद पुत्र मिसरू के बजाय भीका हाजी पि. महमद रेमती बेवा महमद दर्ज किया गया। जमाबन्दी संवत् 2055-2058 से 2059-2062 तक भीका हाजी पि. महमद रेमती बेवा महमद, हाजी पुत्र मिसरू, रोशन पुत्री सुबान अली कौम मु.मोयला का नाम यथावत रहा। जमाबन्दी संवत् 2063-2066 में लग नोट अनुसार नामा.स. 332 नि.दि. 20.10.2009 विरासत से भीका फौत के स्थान पर रफीक सारूक शेरू पीन्टू रूकसाना मुमताज पि. भीकाखा जरीना पत्नि भीकाखां दर्ज किया। नामा.स. 358 नि.दि. 20.05.2011 बेचान से ख. न. 215 रकबा 13 लगान 7.67 श्रीमती मुन्नी उर्फ समीम पत्नि इसाक कौम मु. लवार हाजी पुत्र मिसरूखा सा. मोयला रोशनी पुत्री सुबानअली कौम मु.मोयला सा देवरिया खातेदार दर्ज किया। जमाबन्दी संवत् 2067-2070 में लगे नोट के अनुसार

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

नामा.स. 358 नि.दि. 20.05.2011 बेचान से ख.न. 215 रकबा 13 लगान 7.67 श्रीमति मुन्नी उर्फ समीम पत्नि इसाक कौम लवार हाजी पुत्र मिसरू सा मोयला रोशनी पुत्री सुबानअली कौम मु. मोयला का देवरिया खातेदार दर्ज किया गया। शेष नाम बदस्तूर रहें। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी है। अतः मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का हक-अधिकार निहित होता है। साथ ही विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पिता के निंवसीयत फौत होने पर उसके सभी वारिसानों का उनकी संपत्ति में हक-अधिकार निहित होता है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम दृष्ट्या मामला का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही पैतृक पुश्तैनी आराजी में प्रार्थी मुस्लिम विधि अनुसार अपने पिता के हक-हिस्से की कृषि भूमि में हक-अधिकार रखता है या नहीं यह यह मूल वाद के गुणावगुण व साक्ष्य पर निर्णित किये जाने का विषय है परंतु वादग्रस्त आराजी में हक-अधिकार निहित होने के साथ ही पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का बतौर वारिसान अपने हक-हिस्से पर सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। अतः प्रार्थी का अपने हक-हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना साबित होता है। अतः यह बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। साथ ही अप्रार्थीगण 1 से 9 द्वारा भू-अभिलेख में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर पैतृक पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी का पूर्व में भी अप्रार्थी संख्या 12 को बैचान किया जा चुका है एवं अप्रार्थी द्वारा आगे भी किसी अन्य को हस्तांतरित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं प्रार्थी को सुगम न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का सामना करना पड़ेगा। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हस्तगत प्रार्थना-पत्र में वर्णनानुसार अपने हक-अधिकार की आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण करने से उसे अधिक असुविधा होगी। इस प्रकार यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नही करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा

(भगत सुन्दर विश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
पोकरण

151 सीपीसी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **अप्रार्थीगण** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा मुण्डावा पटवार हल्का घोडावड भू-अभिलेख निरीक्षक बलाडा तहसील जैतारण जिला ब्यावर की सीमा में खसरा नम्बर 190 रकबा 10-08 बीघा किस्म सेवज दोयम व खसरा नम्बर 215 रकबा 13 बीघा किस्म सेवज दोयम की कृषि भूमि स्थित है में रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे व वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नही करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-ब्यावर

निर्णय आज दिनाँक 16/05/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-ब्यावर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज०